कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28011 / 19–20 / दिनांकः 27.10.2020

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः– विधानसभा में प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुसार गत 2 वर्ष में मृत कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण के संबंध में।

प्रसंगः– शिविरा / माध्य / पेंशन–अ / 34925 / पी–2 / 2012 दिनांक 06.05.2020, 26.05.2020, 28.05.2020, 02.07.2020, 24.07.2020, 04.08.2020, 25.08.2020, 08.09.2020 एवं 07.10.2020 व 21-10-20

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि विधानसभा में प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुसार गत 2 वर्ष में मृत कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण के संबंध में सूचना चाही गई थी। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा निम्नानुसार सूचना भिजवाई गई है :–

क.स	कार्यालय का नाम	गत 02 वर्षो में कुल मृत कर्मचारियो की संख्या	मृतक आश्रित कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण	पेंशन विभाग में बकाया	उपनिदेशक / जिला शिक्षां अधिकारी / मुख्य ब्लॉक शिक्षां अधिकारी एवं पी.ई.ई.ओ. कार्यालय स्तर पर बकाया
1	संयुक्त निदेशक, चूरू	143	93	30	20
2	संयुक्त निदेशक, अजमेर	138	95	8	35
3	संयुक्त निदेशक, जयपुर	76	42	15	19
4	संयुक्त निदेशक, पाली	74	43	1	30
5	संयुक्त निदेशक कोटा	72	54	0	18
6	संयुक्त निदेशक, बीकानेर	37	17	10	10
7	संयुक्त निदेशक, उदयपुर	159	100	9	50
8	संयुक्त निदेशक, भरतपुर	82	52	15	15
9	संयुक्त निदेशक, जोधपुर	86	49	8	29
	Total	**867**	**545**	**96**	**226**

उपरोक्त सूचना अनुसार गत 2 वर्षो में कुल सेवा में रहते हुए मृत कर्मचारियों की कुल संख्या 867 है जिसमे से केवल 545 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है शेष प्रकरणों में 226 प्रकरण आपके / आपके अधिनस्थ कार्यालयों में बकाया है जो कि बहुत ही खेद का विषय है। पेंशन प्रकरणों को समय पर निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा एवं कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देशित करने के उपरांत भी मृतक आश्रित कर्मचारियों के 226 प्रकरण आपके कार्यालयों में शेष है जिसमें अधिकांश प्रकरणों में कर्मचारी के आगे एनपीएस अंकित करते हुए लिखा गया है कि कर्मचारी एनपीएस होने के कारण पेंशन देय नहीं है जबकि वित्त विभाग के Memorandum No F.12(8)FD(rules)/2008 जयपुर दिनांक 09.05.2013 द्वारा एनपीएस मृतक कर्मचारियों को भी पेंशन नियमों के तहत पेंशन का प्रावधान किया गया है। कई प्रकरणों में कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में

www.rajteachers.com

आक्षेप के संबंध में लिखा है जबकि उक्त आक्षेपों को संबंधित कार्यालय द्वारा ही पूर्ण किया जाना है। पेशंन प्रकरण पेंशन विभाग में जाने से पूर्व ही वित्त विभाग के नियमानुसार कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी से सेवापुस्तिका में अंतिम वेतन का प्रमाण पत्र सेवापुस्तिका चैक करने के पश्चात ही नियमानुसार लेखाकर्मी द्वारा दिया जाता है, उसके उपरांत भी पेंशन प्रकरणों में पेंशन विभाग द्वारा आक्षेप अंकित किया जाना एवं एनपीएस कर्मचारियों को मृत्यु पर पेंशन स्वीकृत नहीं करवाया जाना लेखाकर्मीकों के कार्य के प्रति उदासीनता प्रतीत होती है।

शासन द्वारा विधानसभा में प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अनुसार गत 2 वर्ष में मृत कर्मचारियों की पेंशन प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं होने के संबंध में गंभीरता से लिया है अतः आपके कार्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण 7 दिवस में करके प्रगति से कार्यालय को सूचित करावे ताकि विधानसभा प्रक्रिया नियम 131 की पूर्ण पालना की जा सके। समय पर प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने पर सीसीए नियमों के तहत जवाबदेही तय करते हुए सक्षम अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवा दिये जायेगें।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक, सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली को पृष्ठांकित कर लेख है कि बकाया पेंशन प्रकरणो के सम्बन्ध में विधानसभा में नियम 131 के तहत परिचर्चा होनी है । अतः पाली जिले के 17 पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु नियमानुसार एनओसी जारी करने की कार्यवाही शीध्र कराई जावे ।
2. प्रधानाचार्य,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रति पृष्ठांकित कर उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी पेंशन प्रकरण कार्यालय स्तर पर 07 दिवस से अधिक अवधि तक लम्बित न रखा जावे ।
3. ए.सी.पी. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर